D.C. II
Paper B
Module 1

S. Sthainder

Theory of Absolute Advantage

इस सिद्धान्त के अनुसार दो देशों में व्यापार उस स्थिति में होता है यदि इनमें से एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है तथा दूसरे देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन में। निरपेक्ष लाभ का अभिप्राय यह है कि एक देश दो वस्तुओं में से एक वस्तु को दूसरे देश की तुलना में निरपेक्ष रूप से कम लागत पर उत्पादित कर सकता है। एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट कर सकते हैं।

तालिका 1

देश	उत्पादित इकाई	
	जूट	चावल
भारत	10	5
बर्मा	5	10

10 घण्टे श्रम का उत्पादन

इस तालिका से इस सिद्धान्त के निरपेक्ष लाभ सिद्धान्त को हम आसानी से समझ सकते हैं। दो देश भारत और बर्मा है जो जूट और चावल का उत्पादन करते हैं। दोनों देशों में प्रत्येक श्रमिक दस घण्टे कार्य करता है। तालिका से स्पष्ट है कि 10 घण्टे श्रम से भारत में जूट की 10 इकाई का उत्पादन होता है और चावल की 5 इकाई का उत्पादन होता है तथा इतने ही घण्टे श्रम से बर्मा में जूट की 5 इकाई और चावल की 10 इकाई का उत्पादन होता है। भारत में जूट और चावल की लागत का अनुपात 1:2 या 2:1 है जबकि बर्मा में जूट और चावल का 2:10 या 1:2 है। इसी लागत के आधार पर प्रत्येक देश के दोनों वस्तुओं का विनिमय अनुपात भी मालूम हो जाता है। भारत में एक इकाई चावल को जूट की दो इकाईयों के बदले प्राप्त किया जा सकता है तथा बर्मा में जूट की एक इकाई को चावल की दो इकाई के बदले प्राप्त किया जा सकता है। तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत को बर्मा की तुलना में जूट के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है तथा बर्मा को भारत की तुलना में चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है। यदि भारत केवल जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे तथा जूट के बदले बर्मा से चावल खरीदे तथा बर्मा केवल चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करे और भारत से जूट खरीदे तो दोनों देशों को लाभ होगा। यदि यह मानकर चला जाए कि परिवहन लागत नहीं लगता है तो भारत से जूट की दो इकाइयों का निर्यात करके बर्मा से चावल की 4 इकाइयों को प्राप्त किया जा सकता है जबकि भारत में जूट की 2 इकाइयों के बदले चावल की 1 इकाई ही प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार बर्मा से चावल की 2 इकाइयों का निर्यात करके भारत की जूट की 4 इकाइयाँ प्राप्त की जा सकती है जबकि बर्मा में चावल 2 इकाइयों के बदले चावल की एक से अधिक इकाइयाँ प्राप्त की जा सकती है।

अगर दोनों देश बिना विशिष्टीकरण के दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करें तो कुल उत्पादन इस प्रकार से होगा।

Ajanta Oxford

Scanned with CamScanner

भारत = 10 इकाई जूट + 5 इकाई चावल
बर्मा = 5 इकाई जूट + 10 इकाई चावल

विशिष्टीकरण को बाद अगर भारत केवल जूट का तथा बर्मा केवल चावल का उत्पादन करता है तो कुल उत्पादन भारत = 20 इकाई जूट बर्मा का 20 इकाई चावल। यहां स्पष्ट है कि विशिष्टीकरण होने के बाद जूट और चावल के उत्पादन में 5-5 इकाई की वृद्धि हो जाती है। यही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है।

व्यावहारिक दृष्टि से एडम स्मिथ का व्यापार का सिद्धांत स्पष्ट और विश्वसनीय नहीं है। यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि एक देश को किसी न किसी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ होना चाहिए ताकि उसका निर्यात किया जा सके, अर्थात् निर्यातक देश को दिये हुए श्रम और पूंजी की सहायता से अन्य देशों की तुलना में अधिक उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए परन्तु ऐसा देश भी हो सकता है जो अन्य देशों की तुलना में किसी भी वस्तु के उत्पादन में श्रेष्ठ न हो। एडम स्मिथ का सिद्धांत इस समस्या को हल नहीं कर सका है कि पिछड़े हुए देश जो अकुशल है और जिसकी उत्पादन विधियां पिछड़ी हुई हैं तथा ऐसे देश को विदेशी व्यापार से लाभ प्राप्त होगा। वास्तव में एडम स्मिथ ने विदेशी व्यापार के कारणों तथा उसकी शर्तों को निर्धारित करने वाले तत्व की कोई विस्तृत और सन्तोषजनक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है। स्मिथ ने केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार को ही प्रस्तुत किया है जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के कारण होने वाला लाभ था। बाद में रिकार्डो ने 1817 में अपनी पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को प्रस्तुत करके एडम स्मिथ के सिद्धान्त के दोषों को दूर किया व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त भी पेश किया।